

कार्यालय: प्रधानाचार्य, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ०प्र०-212601

पत्रांक : ISIP / अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० / फतेह० / 2026-27

दिनांक 15 / 10 / 2026

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह, चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ०प्र० में सविदा के आधार पर
आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु पुनर्विज्ञप्ति:- (as per NMC New Guideline)

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, उ०प्र० में एन०एम०सी० मानका की पूर्ति हेतु रिक्त आचार्य, सह आचार्य सहायक आचार्य के पदों का सविदा के आधार पर नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-एम०ई०-2/2024/1516 दिनांक-19 जून, 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वाक-इन-इंटरव्यू (Walk-in-Interview) के माध्यम से कालज रस्तर से ससुति के आधार पर अंतिम चयन किया जाना है। चयन की प्रक्रिया एन०एम०सी० मानका की अद्यतन ससुति के अनुसार तत्काल प्रभाव से प्रधानाचार्य कार्यालय, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, सभा कक्ष में प्रातः 09:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को अग्रिम आदेशों तक सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने सम्पूर्ण मूल प्रमाण पत्र, उनकी स्त्यापित छायाप्रतियों की 02 सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं 02 फोटो सहित उपस्थित हों।

शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू होगा। पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है या रिक्त होने पर नये पद भी सम्मिलित हो सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एन०एम०सी० मानका की पूर्ति हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से इन पदों का भरा जा सकता है। जिन विभागों में आचार्य के पद हैं उन विभागों में आचार्य के पात्र उम्मीदवार न मिलने पर आचार्य के सापेक्ष सह आचार्य एवं सह आचार्य के पात्र उम्मीदवार न मिलने पर सह आचार्य के सापेक्ष सहायक आचार्य की भर्ती की जा सकती है। पदों की अद्यतन स्थिति एवं समस्त विवरण www.dgmcup.in एवं www.asmcifatehpur.com पर उपलब्ध है।

नोट:- सेवारत अथवा सेवानिवृत्त इच्छुक संकाय सदस्य 70 वर्ष की उम्र तक आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं प्रांतीय चिकित्सा सोओं से सेवारत अथवा सेवानिवृत्त परामर्शदाता डेजिनेट सह-आचार्य एवं एवं डेजिनेट सहायक आचार्य पद हेतु एन०एम०सी० के नवीनतम मानक को पूर्ण करने पर पात्र होंगे।

Note 1: A non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with ten years of experience in at least 220 bedded Government hospital shall be eligible to become Associate Professor of that broad specialty and on such appointment, shall be required to undergo Basic Course in Medical Education and Basic Course in Biomedical Research within two years of the appointment.

Note 2: (i) a non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a Government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior Resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or

(ii) diploma holders appointed as Senior Residents in a recognized medical institution before 08-06-2017 having total experience of four years as Senior Resident; or

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, उ०प्र० में सविदा पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति				
क्र०सं०	विशिष्टता का नाम	अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर		
		आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
1	अस्थि रोग विभाग	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-
2	नेत्र रोग	01-अनारक्षित	-	-
3	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01- अनुसूचित जाति	-	-
4	इमरजेंसी मेडिसिन	01-अनारक्षित	01-अनारक्षित	01- अनुसूचित जाति
	एनॉटमी	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-
5	ई०एन०टी०	01-अनारक्षित	-	-
6	कम्युनिटी मेडिसिन	01- अनुसूचित जाति	01-अनारक्षित	01-आर्थिक रूप से कमजोर 01- अन्य पिछड़ा वर्ग 01-अनारक्षित
7	सामान्य मेडिसिन	-	01- अनुसूचित जाति 01-अनारक्षित	01- अनुसूचित जाति 01-अनारक्षित
8	सामान्य सर्जरी	-	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	01- अन्य पिछड़ा वर्ग
9	बाल रोग	01-अनारक्षित	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	-
10	फारेन्सिक मेडिसिन	01- अनुसूचित जाति	01- अनुसूचित जाति	01- अन्य पिछड़ा वर्ग
11	रेडियोलॉजिस्ट	01-आर्थिक रूप से कमजोर	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	01-आर्थिक रूप से कमजोर
12	गाइक्रोबायोलोजी	-	-	01- अनुसूचित जाति
13	पैथोलोजी	-	01-आर्थिक रूप से कमजोर	01-अनारक्षित
14	बायोकेमिस्ट्री*	-	01-अनारक्षित	01-अनारक्षित
15	एनेस्थीसियोलोजी	-	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	-
16	टी०बी० एण्ड चेस्ट	-	01-अनारक्षित	-
	योग	10	12	12

*केवल मेडिकल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

:: Qualification:-

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experience	
Professor	MD/MS/DNB/Phd	(c)	(i) Associate Professor in the subject for three years in a permitted/ recognized

(8 Year Post PG Experience)	in the Concerned Subject.	medical college institution. (ii) Specialist Medical Officer of the Armed Forces having at least three years of experience as Associate Professor in the relevant specialty in a teaching hospital of the Armed Forces and (b) (i) have published at least two research publications after becoming Associate Professor and must be amongst the first three authors. (ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognized medical institution; and (iii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education provided their broad specialty subject is covered under undergraduate training. Note 1: In the case of Aviation Medicine and Marine Medicine, two years of experience in Flying Squadron for Aviation and two years of experience in a Diving and Escape Training School for Marine medicine, shall be considered equivalent to one-year teaching experience as Associate Professor. Note 2: A Senior Consultant, having three years of experience as post graduate teacher of broad specialty or super specialty subject in the National Board of Examination in Medical Sciences recognized Government medical institute shall be eligible to become Professor in a recognized medical institution of the concerned specialty and total number of years of experience as Post Graduate teacher in National Board of Examination in Medical Sciences recognized government medical institute shall be considered as experience as Professor in a recognized medical institution
Associate Professor (5 Year Post PG Experience)	MD/MS/DNB/Phd in the Concerned Subject.	(c) (i) Assistant Professor in the subject for four years in a recognized medical institution or for five years for those appointed directly as Assistant Professor in Government medical institution; or (ii) a Specialist Medical Officer of the Armed Forces, having at least five years of clinical experience in the relevant specialty after obtaining the recognized Postgraduate qualification in the subject, of which at least three years teaching experience as Assistant Professor in a teaching hospital of the Armed Forces; and (b) (i) have published at least two research publications after becoming Assistant Professor and must be amongst first three authors. (ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognized medical institution designated by the Commission; and (iii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education provided their broad specialty subject is covered under undergraduate training. Note 1: In the specialty of Aviation Medicine and Marine Medicine, maximum of four years' experience in Flying Squadrons and in Diving and Escape training Schools, respectively, will be considered equivalent to two years of teaching experience for becoming Associate Professor. Note 2: A non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with ten years of experience in at least 220 bedded Government hospital shall be eligible to become Associate Professor of that broad specialty and on such appointment, shall be required to undergo Basic Course in Medical Education and Basic Course in Biomedical Research within two years of the appointment
Assistant Professor	MD/MS/DNB/Phd in the Concerned Subject.	(i) One year as Senior Resident/Demonstrator Tutor in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college after acquiring MD MS Phd Degree. (ii) a non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a Government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an Assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior Resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or (iii) diploma holders appointed as Senior Residents in a recognized medical Institution before 08.06.2017 having total experience of four years as Senior Resident; or (iv) diploma holders working as Specialist or Medical Officer in the respective departments of a government medical institution or Government medical Institution running National Board of Examination and Medical Service recognized teaching programme having cumulative experience of six years.

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-2,20,000/- राह आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,60,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को medical council of India Minimum Qualification for teachers in Medical institutions Regulation, 1998 अधिनियम एनओएमओसीओ द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या-2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों में सहायक चिकित्सा शिक्षको को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

शासनादेश संख्या-582/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून 2020 द्वारा सविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अभिवृत्त आयु नियुक्ति वर्ष के जूलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।

प्रोप्रीटी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।

प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।

काई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकरिमक आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध होना होगा।

उक्त नियत वतन के अतिरिक्त सविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।

सविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का सविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा, एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अग्रणी की नियमावली के अनुसार शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोष जनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।

सविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले, उक्त काल अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। सविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।

सविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक, सविदा काल अवधि के लिए किसी प्रकार की पेशन सम्बन्धित सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उस-ऐसे काल अवधि के लिए कोई भी वोनस देय नहीं होंगे।

चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।

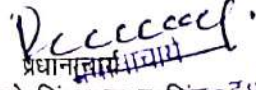
सविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का सविदा वेतन सुगतान करके समाप्त की जा सकती है।

सविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबंध पत्र में विनिर्दिष्ट की जायेगी। सविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबंध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थाई करण का दावा नहीं करेंगे न ही उन्हें नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।

अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध मा० न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।

उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-2 उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप राख्या:- 1/2019/4/1/2002/का 2/ 19टी०सी० II दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई०डब्ल्यूएस० (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से/ अग्निम आधिकारी द्वारा जारी/ प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।

पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है।


प्रधानाचार्य
अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०सि०
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
तददिनांक
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

अंक :- /अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०सि०अ०च०म०/फतेह०/2025-26
निर्देश:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. उप प्रधानाचार्य, अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०सि० चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड में लगवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करें, तथा साथ ही शोराब गीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. कुल सचिव/प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/कानपुर/सैफई, इलाहाबाद/मेरठ/आगरा/ प्रयागराज/झासी/ गोरखपुर/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/बांदा/सहारनपुर/ आजमगढ़ व गदायू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कार्यालय/ छात्रावासों की नोटिस बोर्ड तथा कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
6. आरक्षण एवं वितरण अधिकारी, स्वाशारी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. सूचना पट, कालेज/केंद्रीय पुस्तकालय/छात्रावारा, स्वाशारी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
9. प्रधान लिपिक, अधिष्ठान/लेखा/कैशियर, स्वाशारी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
10. फार्म फाइल।

प्रधानाचार्य
अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०सि०
चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर।

कार्यालय: प्रधानाचार्य, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ०प्र०-212601

पत्रांक : /अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म०/फतेह०/2026-27 दिनांक 15/10/2026

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह, चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ०प्र० में संविदा के आधार पर
 आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु पुनर्विज्ञापित:- (as per NMC New Guideline)

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, उ०प्र० में एन०एम०सी० मानकों की पूर्ति हेतु रिक्त आचार्य सह आचार्य सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं परिशिक्षण उ०प्र० जयनरु के पत्र संख्या-एम०ई०-2/2024/1516 दिनांक-19 जून, 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वाक-इन-इंटरव्यू (Walk-in-Interview) के माध्यम से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर अंतिम चयन किया जाना है। चयन की प्रक्रिया एन०एम०सी० मानकों की अपेक्षा अनुसार संस्तुति के अनुसार तत्काल प्रभाव से प्रधानाचार्य कार्यालय, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, सभा कक्ष में प्रातः 09:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को अग्रिम आदेशों तक सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों, उनकी सत्यापित छायाप्रतियों की 02 सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं 02 फोटो सहित उपस्थित हों।

शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू होगा। पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है या रिक्त होने पर नये पद भी सम्मिलित हो सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एन०एम०सी० मानकों की पूर्ति हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से इन पदों को भरा जा सकता है। जिन विभागों में आचार्य के पद हैं उन विभागों में आचार्य के पात्र उम्मीदवार न मिलने पर आचार्य के सम्प्रेक्ष सह आचार्य एवं सह आचार्य के पात्र उम्मीदवार न मिलने पर सह आचार्य के सम्प्रेक्ष सहायक आचार्य की भर्ती की जा सकती है। पदों की अंतिम स्थिति एवं सम्पन्न विवरण www.dgmeup.in एवं www.asmfatehpur.com पर उपलब्ध है।

नोट:- सेवारत अथवा सेवानिवृत्त इच्छुक संकाय सदस्य 70 वर्ष की उम्र तक आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं प्रांतीय चिकित्सा सोओं से सेवारत अथवा सेवानिवृत्त परामर्शदाता डेजिनेट सह-आचार्य एवं एवं डेजिनेट सहायक आचार्य पद हेतु एन०एम०सी० के नवीनतम मानकों को पूर्ण करने पर पात्र होंगे।

Note 1: A non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with ten years of experience in at least 220 bedded Government hospital shall be eligible to become Associate Professor of that broad specialty and on such appointment, shall be required to undergo Basic Course in Medical Education and Basic Course in Biomedical Research within two years of the appointment.

Note 2: (i) a non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a Government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior Resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or

(ii) diploma holders appointed as Senior Residents in a recognized medical institution before 08-06-2017 having total experience of four years as Senior Resident; or

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर उ०प्र० में संविदा पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति				
क्र०सं०	विशिष्टता का नाम	अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर		
		आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
1	अस्थि रोग विभाग	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-
2	नेत्र रोग	01-अनारक्षित	-	-
3	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01- अनुसूचित जाति	-	-
4	इमरजेसी मेडिसिन	01-अनारक्षित	01-अनारक्षित	01- अनुसूचित जाति
	एनॉटमी	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-
5	ई०एन०टी०	01-अनारक्षित	-	-
6	कम्युनिटी मेडिसिन	01- अनुसूचित जाति	01-अनारक्षित	01-आर्थिक रूप से कमजोर 01- अन्य पिछड़ा वर्ग 01-अनारक्षित
7	सामान्य मेडिसिन	-	01- अनुसूचित जाति 01-अनारक्षित	01- अनुसूचित जाति 01-अनारक्षित
8	सामान्य सर्जरी	-	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	01- अन्य पिछड़ा वर्ग
9	बाल रोग	01-अनारक्षित	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	-
10	फारेन्सिक मेडिसिन	01- अनुसूचित जाति	01- अनुसूचित जाति	01- अन्य पिछड़ा वर्ग
11	रेडियोलॉजी	01-आर्थिक रूप से कमजोर	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	01-आर्थिक रूप से कमजोर
12	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	01- अनुसूचित जाति
13	पैथोलॉजी	-	01-आर्थिक रूप से कमजोर	01-अनारक्षित
14	बायोकेमिस्ट्री*	-	01-अनारक्षित	01-अनारक्षित
15	एनेस्थीसियोलॉजी	-	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	-
16	टी०बी० एण्ड चेस्ट योग	- 10	01-अनारक्षित 12	- 12

*केवल मेडिकल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

:: Qualification:-

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experience	
Professor	MD/MS/DNB/Phd	(c)	(i) Associate Professor in the subject for three years in a permitted/ recognized

(8 Year Post PG Experience)	in the Concerned Subject.	medical college institution. (ii) Specialist Medical Officer of the Armed Forces having at least three years of experience as Associate Professor in the relevant specialty in a teaching hospital of the Armed Forces and (b) (i) have published at least two research publications after becoming Associate Professor and must be amongst the first three authors; (ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognized medical institution; and (iii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education provided their broad specialty subject is covered under undergraduate training. Note 1: In the case of Aviation Medicine and Marine Medicine, two years of experience as Flying Squadron for Aviation and two years of experience in a Diving and Escape Training School for Marine medicine, shall be considered equivalent to one-year teaching experience as Associate Professor. Note 2: A Senior Consultant, having three years of experience as post graduate teacher of broad specialty or super specialty subject in the National Board of Examination in Medical Sciences recognized Government medical institute shall be eligible to become Professor in a recognized medical institution of the concerned specialty and total number of years of experience as Post Graduate teacher in National Board of Examination in Medical Sciences recognized government medical institute shall be considered as experience as Professor in a recognized medical institution
Associate Professor (5 Year Post PG Experience)	MD/MS/DNB/Phd in the Concerned Subject.	(c) (i) Assistant Professor in the subject for four years in a recognized medical institution or for five years for those appointed directly as Assistant Professor in Government medical institution; or (ii) a Specialist Medical Officer of the Armed Forces, having at least five years of clinical experience in the relevant specialty after obtaining the recognized Postgraduate qualification in the subject, of which at least three years teaching experience as Assistant Professor in a teaching hospital of the Armed Forces; and (b) (i) have published at least two research publications after becoming Assistant Professor and must be amongst first three authors; (ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognized medical institution designated by the Commission; and (iii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education provided their broad specialty subject is covered under undergraduate training. Note 1: In the specialty of Aviation Medicine and Marine Medicine, maximum of four years' experience in Flying Squadrons and in Diving and Escape training Schools, respectively, will be considered equivalent to two years of teaching experience for becoming Associate Professor. Note 2: A non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with ten years of experience in at least 220 bedded Government hospital shall be eligible to become Associate Professor of that broad specialty and on such appointment, shall be required to undergo Basic Course in Medical Education and Basic Course in Biomedical Research within two years of the appointment
Assistant Professor	MD/MS/DNB/Phd in the Concerned Subject.	(i) One year as Senior Resident/Demonstrator/Tutor in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college after acquiring MD/MS/Phd Degree (ii) a non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a Government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an Assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior Resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or (iii) diploma holders appointed as Senior Residents in a recognized medical Institution before 08.06.2017 having total experience of four years as Senior Resident; or (iv) diploma holders working as Specialist or Medical Officer in the respective departments of a government medical institution or Government medical Institution running National Board of Examination and Medical Service recognized teaching programme having cumulative experience of six years.

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-2,20,000/- सह आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,60,000/- तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹0-1,20,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को medical council of India Minimum Qualification for teachers in Medical institutions Regulation, 1998 अद्यतन एनएमसीआई द्वारा निर्धारित वैश्विक अक्षरों एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या-2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

3. शासन-निर्देश संख्या-582/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जूलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. ऑपेडी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकरिमिक आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध होना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा, एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अभ्यर्थी की नियमति चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोष जनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले, उक्त काल अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक, संविदा काल अवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धित सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे काल अवधि के लिए कोई भी बोनस देय नहीं होंगे।
13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जायेगी। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थाई करण का दावा नहीं करेंगे न ही उन्हें नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग-2 उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या:- 1/2019/4/1/2002/का-2/ 19टी0री0-11 दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से/ अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
18. पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है।

प्रधानाचार्य
अ0श0जो0सि0अ0ठा0द0सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
तददिनांक

दिनांक 15/11/2025 / अ0श0जो0सि0अ0ठा0द0सिंह0म0 / फतेह0 / 2025-26
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. उप प्रधानाचार्य, अ0श0जो0सि0अ0ठा0द0सिंह0 चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड में लगवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करें, तथा साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. कुल सचिव/प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/कानपुर/सैफई, इटावा/मेरठ/आगरा/ प्रयागराज/झांसी/ गोरखपुर/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/वांदा/राहारनपुर/ आजमगढ़ व बदायूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कार्यालय/छात्रावासों की नोटिस बोर्ड तथा कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. सूचना पट, कालेज/केंद्रीय पुस्तकालय/छात्रावास, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
9. प्रधान लिपिक, अधिष्ठान/लेखा/कैशियर, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
10. गार्ड फाइल।

प्रधानाचार्य
अ0श0जो0सि0अ0ठा0द0सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर